संख्या-100/2017/1431/छप्पन-2017-91/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2017

विषय: विशेष अनुज्ञा याचिका (सीसी) संख्या-22538-22539 राज्य सरकार व अन्य बनाम देव प्रताप पाण्डेय में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने पत्रांक-384-एटीआई-2017, दिनांक 05 जुलाई, 2017 एवं विषयगत प्रकरण में शासन को प्रेषित अपने पूर्ववर्ती पत्रों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- श्री देव प्रताप पाण्डेय जो ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छटनी शुदा कर्मचारी थे, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, लखनऊ में अनुदेशक, एयरो के पद पर दिनांक 02 नवम्बर, 1994 से 30 जून, 1999 तक सेवारत रहे। क्योंकि श्री पाण्डेय संस्थान में 02 नवम्बर, 1994 से 30 जून, 1999 तक अर्थात 04 वर्ष 07 माह तथा 25 दिन तक ही सेवारत रहे। अतः इन्हें राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा के आधार पर सेवानिवृत्तिक लाभ के रुप में पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था। श्री पाण्डेय द्वारा ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में की गई सेवा को राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा के साथ जोड़कर सेवानिवृत्तिक लाभ स्वीकृत किए जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-6264 (एसएस)/2013 आयोजित की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

"Hence the respondents are directed to consider the retiral benefit taking into account the service rendered by the petitioner at ATL for purposes of retiral benefits with 10% interest per annum from the date when the same was due to the petitioner including pension expeditiously, preferably within a period of 03 months after furnishing certified copy of this order."

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विशेष अपील याचिका संख्या-417/2014 एवं रिव्यू याचिका संख्या-402/2015 योजित की गई, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश क्रमशः दिनांक 22 जुलाई, 2015 एवं 22 सितम्बर, 2015 द्वारा खारिज कर दिया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-22538-22539 योजित की गई, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2016 द्वारा निम्नवत् खारिज कर दिया गया-

"Delay condoned. Special leave petition is dismissed. The question of law is kept open."

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-40/2016/623/छप्पन-2016-91/2013, दिनांक 12 मई, 2016 द्वारा श्री देव प्रताप पाण्डेय द्वारा ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में दिनांक 02 मार्च, 1982 से 20 नवम्बर, 1990 तक की गई सेवाओं को राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा के साथ सेवानिवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़ते हुए सेवानिवृत्तिक लाभ स्वीकृत किए जाने के आदेश निर्गत किए गए। उक्त आदेश दिनांक 12 मई, 2016 के क्रम में एयरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के पत्रांक-335-36/ए0टी0आई0/व्य0पत्रा0, दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा निदेशक, पेन्शन, उत्तर प्रदेश को पेन्शन प्रपत्रों का प्रेषण किया गया, जिसके क्रम में पेन्शन निदेशालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2016 को पेन्शन भुगतान आदेश का अग्रसारण पत्र मुख्य कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित किया गया। कोषागार, प्रतापगढ़ द्वारा पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान दिनांक 10 मार्च, 2017 को किया जा चुका है, क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 10 मार्च, 2014 में यह भी उल्लेख है कि श्री देव प्रताप पाण्डेय को देय सेवानिवृत्तिक लाभों पर प्रतिवर्ष के आधार पर ब्याज का भुगतान भी किया जाए। अतः श्री देव प्रताप पाण्डेय को भुगतान की गई पेन्शन एवं ग्रेच्युटी पर प्रतिवर्ष के आधार पर ब्याज का भुगतान निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2017 में प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

5- प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचार के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देव प्रताप पाण्डेय, सेवानिवृत्त अनुदेशक, एयरो, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ग्रेच्युटी एवं पेन्शन के विलम्ब से हुए भुगतान के लिए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए श्री पाण्डेय को ब्याज की धनराशि क्रमशः रू0.5,50,825/- एवं रू0.1,16,629/- अर्थात कुल रू0. 6,67,454-/ (रूपए छः लाख सडसठ हजार चार सौ चौवन मात्र) का नियमानुसार भुगतान करने के लिए श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01 सिविल-800 अन्य पेंशन-09-सेवानिवृत्त हित लाभों के विलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ" के नामे डाला जाएगा।

7. प्रश्नगत कार्यवाही विधिक बाध्यता के अधीन की जा रही है। अतः इसे किसी अन्य प्रकरण के लिए दृष्टांत नहीं माना जाएगा।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0 संख्या-100/2017/1431(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।